

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 2729 / FP/UK/ROAD/55006/2020 देहरादून: दिनांक: 4 मई, 2021

सेवा में,

प्रभारी सचिव,

वन अनुभाग-3,

उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.9 हे० का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/55006/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.9 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट-II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में वृक्षों का पातन शून्य है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/55006/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद-पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।

(डी०जे०के० शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.9 हे० का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/55006/2020)

जनपद-पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.9 हे० का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.9 सिविल सोयम वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-पिथौरागढ़/प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट-II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में वृक्षों का पातन शून्य है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:

(डी०जे०के० शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सरकारी मोहर:

D. J. K. SHARMA
Principal Chief Conservator
of Forest Uttarakhand

तिथि : 04/05/2021

स्थान : देहरादून